उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या क0नि0 5–2688 / 11–2005–500(87) / 2001

लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2005

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के ासथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0 5–2716 / 11–2003–500(87) / 2001 दिनांक 22 मई, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा, अर्थातः–

''(3)– किसी रजिस्ट्रीकृत निर्माणकर्ता / विकासकर्ता और किसी निजी भूस्वामी के मध्य आनुपातिक निर्मित क्षेत्र को आपस में बॉटने के लिए निष्पादित निर्माणकर्ता के करार की किसी लिखत की दशा में भूमि के मूल्य, जैसा कलेक्टर द्वारा नियत किया गया हो, पर भूमि के मूल्य पर यथा आगणित प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में बीस प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।''

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अतुल चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–2688(1) / ग्यारह–2005–500(87) / 2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी तथा हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस दिनांक 12 जुलाई, 2005 के असाधारण गजट के भाग–4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 200 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को और 100 प्रतियां शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्याः–क0नि0–5–2688(2) / 11–2005–500(87) / 2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा / ग्रेटर नोएडा।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।

5. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
6. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही कृपया उन्हें कृपया यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि सम्बन्धित जनपद के समस्त उप निबन्धकों को इस अधिसूचना की प्रति सुलभ हो जाये।
7. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. शसकीय हस्तांतरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. विधि परामर्शी पुस्तकलाय, उत्तर प्रदेश शासन।
11. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
12. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N. 5-2688/11-2005-500(87) / 2001 dated July 12, 2005 for general information.

<u>No. K.N. 5-2688/11-2005-500(87)/2001</u>

<u>Lucknow, Dated July 12, 2005</u>

Notification

Order

In exercise of the power under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the gazette, the following amendment in Government notification no. K.N.5-2716/11-2003-500 (87) /2001 dated May 22, 2003

AMENDMENT

In the aforesaid notification, for sub-paragraph (3), the following paragraph shall be substituted, namely;-

"(3) In the case of an instrument of builders agreement executed between a registered private builder/developer and any private land owner for sharing of proportionate constructed area, twenty percent stamp duty chargeable shall be exempted on the value of the land as calculated on the value of the land as fixed by the Collector."

By order,
Sd/-Illegible
(Atul Chaturvedi)
Pramukh Sachiv.